न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्याः–62 / 2017 (223 आर.टी.एक्ट)

जी.सी.एम.एस .संख्याः–2017 / 00139

उनवान

1. ठाकुरजी लक्ष्मणजी बिराजमान मंदिर लक्ष्मणजी कस्बा करौली होली खिडकिया वाहर जरिये पुजारी बृजगोपाल पाण्डेय पुत्र गजाधर पाण्डेय आयु 74 साल जाति ब्राहम्ण निवासी होली खिडकिया के बाहर करौली तहसील व जिला करौली राजस्थान। (फौत) राजस्थान सरकार जरिये तहसीदार।

...अपीलांट।

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र मुन्ना जाति काछी निवासी होली खिडकिया बाहर करौली तहसील व जिला करौली राजस्थान।

...रेस्पोडेन्ट।

उपस्थितः–

1. श्री अधिवक्ता अपीलांट अबरार अहमद
2. श्री अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट विष्णु बंसल
3. पैरोकार सरकार

–:: निर्णय ::–

दिनाक–[illegible]

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी उपखण्ड़ करौली जिला करौली में दायर मुकदमा संख्या 22 / 17 व 104 / 97 बउनवान ठाकुर लक्ष्मण जी विराजमान मंदिर लक्ष्मण जी बनाम सत्यनारायण में पारित निर्णय व डिक्री दिनाक 10.07.2017 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] उपखण्ड अधिकारी करौली [illegible] समक्ष इस आशय का पेश किया कि खसरा [illegible] लगायत 4516 व 4520, 4521 [illegible] करबा [illegible] स्थित है जिसमें ठाकुर जी का [illegible] उक्त भूमि मंदिर की भूमि [illegible] वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.13 13:10:50 IST
Reason: SelfAttested

62
राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

इसके मौतमिम व नेक्सफ्रैण्ड है। विवादित आराजीयात पर कब्जा वादी को प्रतिवादी को बेदखल कर दिलाये जावें। मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी करौली ने दिनांक 10.07.2017 को निर्णय पारित करते हुए दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

3. अपील मीमों में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजीयात ठाकुर जी लक्ष्मण जी मंदिर माफी की आराजीयात है जिसमें कुआ व ठाकुरजी मंदिर भी स्थित है। इस भूमि का वादी स्वयं खातेदार काश्तकार है और प्रतिवादी के किसी प्रकार के हकूक खातेदारी निहित नही है प्रतिवादी का कब्जा इयर टू इयर टीनेन्ट की हैसियत से है और तौर हाली मंदिर की ओर से काश्त पर रखा हुआ है और उसको दिनांक 01.07 1997 को जमीन छोड़ने को मना किया तो नही माना और वहैसियत ट्रेस पासर जमीन पर काबिज है। ठाकुरजी शाश्वत नाबालिग है जिसके हम मोतमिम है और नैक्सफ्रेंड है। इन तथ्यों पर मातहत अदालत ने बिना गौर किए ही आदेश पारित कर दिया जबकि प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा मुताबिक धमकी ठाकुरजी के मंदिर मे कई बार तोड फोड की है प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट ठाकुरजी के मंदिर को नष्ट करना चाहता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी करौली का निर्णय दिनांक 10.07.2017 को निरस्त फरमाया जावें।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

5. बहस में मिन जानिब ठाकुर जी ओर से अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए लिखित बहस पेश कर अंकन किया कि विवादित आराजीयात पौने दो बीघ ठाकुर जी महाराज के कब्जे काश्त की है। रेस्पो0 हाली की हैसियत से काश्तकार है। अब वह अतिचारी है। ट्रेस पासर काबिज है। निर्माण स्वीकृति 10.05.66 कानुनी महत्व नही है। विधुत बिल, डिक्री दिनांक 24.04.1974 व इसकी ऑर्डरशीट जो पेश की गई है उससे भी स्पष्ट है कि ईयर टू ईयर काश्त के लिए जमीन दी गई थी। तनकी वार निर्णय 24.04.1974 नही है, धारा 63(4) से भी मंदिर के हक बाधित नही होते, तनकीवार निर्णय पारित नही किए है इस कारण अदालत मातहत का निर्णय व डिक्री दिनांक 10.07.2017 निरस्त योग्य होने से निरस्त किए जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

6. जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेंट लिखित [illegible] कर कथन अंकन किए गए कि अपीलांट/वादीगण व इनके [illegible] वर्ष 1966 से आज तक कब्जा पितामह देवीलाल [illegible] रहा है जो निर्णय [illegible]1977

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.13 13:10:50 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

से स्पष्ट है। धारा 183 की मियाद 12 वर्ष है वाद संख्या 08/1959 में बृजलाल पक्षकार रहा है। इस वाद में वादी बृजलाल ने कब्जा संवत् 2033 में प्रतिवादी/रेस्पो० का माना है। वर्ष 1966 से संवत् 2016 से 2019 तक कब्जा गिरदावरी से देवीलाल व मुन्ना पिता रेस्पोडेंट एवं छोटे पुत्र देवीलाल का होना साबित माना है। विवादित भूमि के संबंध में 16.07.1977 का निर्णय अपीलांट के लिए बाध्यकारी है। अधिवक्ता रेस्पो० द्वारा ने दृष्टांत **आर.बी.जे. 2000 पेज 505, 2008(2)** आर.आर.टी. 799, 2008(2) आर. आर.टी 802 पेश किया। अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

पैरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि विवादित आराजीयात का राजगामी कब्जा दिया जावे।

7. हमारे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया।

8. यह वाद धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत है। राजस्व रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात के खातेदार ठाकुर जी लक्ष्मण जी विराजमान करौली है और संवत् 1915 से पुजारी वादी/अपीलांटगण रहे है।
ठाकुरजी लक्ष्मण जी विराजमान की ओर से एक मात्र पुजारी रामस्वरूप पुत्र भोरी[illegible] ब्राहम्ण थे, जिनकी मृत्यु 11.05.2000 में मुंबई में हो चुकी है। उनके देहावसान सन् 2000 में हो चुकने के कारण उनकी पुत्री द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जा0 दी0 प्रार्थिया बंसती देवी द्वारा 23.12.22 को पेश किए गए जिसको दिनांक 12.01.2023 को अस्वीकार कर दी गई। परन्तु मंदिर मूर्ति के हितार्थ के लिए राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार को संरक्षक बनाने के आदेश किए जाते है। राजस्थान सरकार के आदेशानुसार तहसीलदार हल्का अनुसार कमेटी का सदस्य सचिव भी है।

9. पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत 2052–2055 वाके ग्राम करौली में खसरा नम्बर 4503 [illegible]ायत 4506 व 4512 [illegible] 4516 व 4520, 4521 कुल किता 11 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा ठाकुर जी लक्ष्मण जी विराजमान करौली के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है। भुप्रबन्ध विभाग जमाबंदी खतौनी ग्राम करौली जिला सवाई माधोपुर संवत् 2015 के खाता संख्या 1044 मे मंदिर श्री लक्ष्मण जी में पुजारी के रूप में वादी/अपीलांट के पिता का नाम का बइअताम पुजारी अंकन है। फैसला तहसीलदार मुकदमा नंबर 99/66 निर्माण स्वीकृति जारी की गई है (प्रदर्श ए–1) अदालत मातहत के मुकदमा [illegible] में अपीलांट वादीगण थ को अदम सबूत में खारिज किया गया है। ([illegible]) प्रतिवादीगण की ओर से विद्युत बिल पेश किए गए है। (प्रदर्श [illegible]) प्रतिवादी ने अपने अपने समर्थन में कथन किए [illegible] बाबत कब्जा बेदखली का वाद सं०

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.13 13:10:50 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

63(1)/1968 बउनवान श्री राधेश्याम, गजाधर, सुआलाल, रामस्वरूप, भौरीलाल बनाम छोटेलाल पुत्र देंवीलाल को अदम सबूत मे खाजि किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि वादी/अपीलांट को रेस्पो0 के पूर्वज द्वारा 1968 से पूर्व ही बेदखल कर दिया गया था ओर प्रदर्श ए–1, प्रदर्श ए–2 व प्रदर्श ए–5 के अनुसार कब्जा रेस्पो0 का प्रमाणित है।

10. बेदखली के संबध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 के प्रावधान इस प्रकार है–

183. Ejectment of certain trespassers- (1) Notwithstanding anything to the contrary in any provision of this Act, a tressapasser who has taken of retained possession of any land without lawful authority shall be liable to ejectment, subject to the provisions contained in sub-section (2), on the suit of the person or persons entitled to eject him, and shall be further liable to pay as penalty for each agricultural year, during the whole or any part whereof he has been in such possession, a sum which may extend to fifteen times the annual rent.

प्रथमः इस अधिनियम की **तृतीय अनुसूचीं** की **क्रम संख्या 23** अधिनियम की धारा 183 अतिक्रमी की बेदखली के लिए वाद की परिसीमा की अवधि वाद कारण उत्पन्न होंने से 12 साल है। अदालत की डिक्री अंतर्गत धारा 187 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नंबर 63(1)/1968 से यह प्रमाणित है कि वाद कारण 1968 मे पूर्व ही उत्पन्न हो गया था। अपीलांटगण द्वारा मुकदमा नंबर 63(1) सन् 1968 की कोई अपील पेश करने का तथ्य भी अपील मीमों मे अंकन नही किया गया है। ऐसी स्थिति में यह निर्णय अंतिम है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत 2008(2) आर.आर.डी. 799 यहा चस्पा होता है।

द्वितीयः वादकारण सन् 1968 से पूर्व हो गया था इसलिए वाद/अपील मीमा मे यह कथन कि वाद कारण 01.07.1997 को उत्पन्न हुआ विधिक रूप से स्वीकार्य नही है। इस आधार पर वाद दायर करने की परिसीमा अवधि 1980 में पूर्ण हो जाती है ओर द्वारा 1997 में दायर किया गया जो परिसीमा से संबंधित है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का दृष्टांत **आर.बी.जे. (7) 2000 पेज 505** यहां चस्पा होता है।

तृतीयः अदालत मातहत द्वारा तनकीवार प्रत्येक बिंदुवार यथा परिसीमा अवधि (तनकी नंबर 01 व 04) कब्जा (तनकी नंबर 02) पूर्व न्याय (तनकी नंबर 03 व 06) पर दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर विवेचन कर विधि अनुसार निर्णय पारित किया है जिसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना अनुचित है।

11. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार योग्य नही पाए जाने से खारिज की जाती है। अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी ... द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.07.2017 बउनवान ठाकुर ... लक्ष्मण जी बनाम सत्यानारायण को यथावत रखा जाता है ... रेस्पोडेन्ट ठाकुर जी लक्ष्मण जी

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.13 13:10:50 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

विराजमान मंदिर लक्ष्मण जी कस्बा करौली होली खिडकिया बाहर के भोग खर्च के लिए मंदिर प्रबंध कमेटी सदस्य सचिव तहसीलदार करौली को प्रतिवर्ष रूपये 5551–/ अक्षरे पांच हजार पांच सौ इक्यावन जरिये चेक से जमा कराये। यदि रेस्पो0 द्वारा यह राशि प्रतिवर्ष जमा नहीं कराई जावे तो राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विवादित आराजीयात के कब्जेराज की कार्यवाही करे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

12. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 30.01.2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
30.01.23
राजस्व अपील अधिकारी,
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.13 13:10:50 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री अपील

(ओ.41, रूल 35 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :–बइजलास श्री हरिराम मीना आर. ए. एस. राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

उनवान

1. ठाकुरजी लक्ष्मणजी बिराजमान मंदिर लक्ष्मणजी कस्बा करौली होली खिडकिया बाहर जरिये पुजारी बृजगोपाल पाण्डेय पुत्र गजाधर पाण्डेय आयु 74 साल जाति ब्राह्मण निवासी होली खिडकिया के बाहर करौली तहसील व जिला करौली राजस्थान। (फौत)
जरिये तहसीलदार करौली ।

....अपीलांट।

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र मुन्ना जाति काछी निवासी होली खिडकिया बाहर करौली तहसील व जिला करौली राजस्थान।

...रेस्पोडेन्ट।

अपील संख्या :62/2017 (धारा 223 आर.टी.एक्ट)
जी.सी.एम.एस संख्या :2017/00139 दिनांक 30.01.2023

अपील विरूद्व आज्ञाः उपखण्ड अधिकारी करौली

यह अपील व तारीख 30.01.23 रूबरू हमारे व हाजरी श्री अबरार अहमद अधिवक्ता अपीलांट व हाजरी श्री विष्णु बंसल अधिवक्ता रेस्पो0 व श्री पैरोकार सरकार एड. मिनजानिब रेस्पो. समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी करौली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.07.2017 बउनवान ठाकुर लक्ष्मण जी विराजमान मंदिर लक्ष्मण जी बनाम सत्यानारायण को यथावत रखा जाता है परन्तु रेस्पोडेन्ट ठाकुर जी लक्ष्मण जी विराजमान मंदिर लक्ष्मण जी कस्बा करौली होली खिडकिया बाहर के भोग खर्च के लिए मंदिर प्रबंध कमेटी सदस्य सचिव तहसील करौली को प्रतिवर्ष रूपये 5551–/ अक्षरे पांच हजार पांच सौ इक्यावन जरिये चेक से जमा कराये। यदि रेस्पो0 द्वारा यह राशि प्रतिवर्ष जमा नहीं कराई जावे तो राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विवादित आराजीयात के कब्जेराज की कार्यवाही करे। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 30.01.2023 को जारी किया गया।

मुहर

हस्ताक्षर अधिकारी व मुहर 30.01.23
राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.13 13:10:50 IST
Reason: SelfAttested